


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील 109/2016 चरनसिंह बनाम पीतम
8.3.2018	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। यह पत्रावली आदेशिका दिनांक 12.7.2016 की रोशनी में न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर से इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील नगर पालिका वैर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 15.4.2013 व पट्टाभिलेख दिनांक 2.12.2014 के खिलाफ पेश की गई है। चूंकि वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग) () नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.6.2016 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उपधारा (2) सपठित धारा 337 के तहत प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। लिहाजा उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 10.6.2016 के परिपेक्ष्य में यह पत्रावली श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर को प्रेषित की जाती है। न्यायालय हाजा से यह प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। वकील उभयपक्षकारान को सूचित किया जाता है कि वे प्रकरण में वास्ते आगामी सुनवाई श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय में दिनांक.....को उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  सत्यमेव जयते अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर </p> <p style="text-align: right;">(ओपी0जैन)</p>